



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार 05 श्रावण, शक संवत्, 1926

(दिनांक : 27 जुलाई, 2004)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी “क”)।
2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी “ख”)।
3. मुख्यमंत्री, प्रथम राज्य वित्त आयोग उत्तरांचल के प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन के पटल पर रखेंगे।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, “जनपद उत्तरकाशी के जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक आने-जाने हेतु रज्जु मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री शशिमोहन राणा एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, “जनपद उत्तरकाशी के मौघ में हाईस्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में” श्री कुन्दन सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, “जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत टिपरी (बिष्ट) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में” श्री श्रीपाल सिंह महन्त एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, “जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के गोडर-खाटल क्षेत्र के ओडगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में” श्री लोकेन्द्र चौहान एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, “जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत नालूपानी-पटारा-डांग (जसपुर) स्थालना मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री सरबीर चन्द्र रमोला एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, “जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के ग्राम बनास (गीठ) को पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में” श्री अजबीन सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
11. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, “जनपद उत्तरकाशी के ग्राम धरासू को पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने सम्बन्ध में” श्री भरत सिंह नाथ एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
12. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, “जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्वालीसौड़ के बधाणगांव में हाईस्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में” श्री त्रिलोक चन्द रमोला एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
13. श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य, विधान सभा, “जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आदर्श कन्या जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में” कै० हरि सिंह सामन्त एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
14. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, “जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड स्याल्दे के बाचखेत के ढाईकिचर तक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री प्रेम बल्लभ वलोदी एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
15. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

16. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
17. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
18. पर्यटन मंत्री, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
19. पर्यटन मंत्री, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करेंगे।
20. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“ग”)
21. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
22. वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

1- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2301133 हजार (दो सौ तीस करोड़ ग्यारह लाख तैंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

2- आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 28246 हजार (दो करोड़ बयासी लाख छियालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

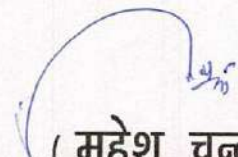
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ङ))

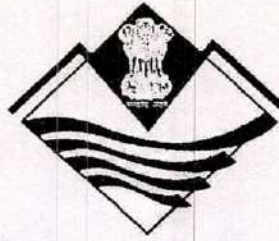
- 3- पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 166437 हजार (सोलह करोड़ चौसठ लाख सैंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (च))
- 4- कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17, कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1055188 हजार (एक सौ पाँच करोड़ इक्यावन लाख अठ्ठासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (छ))
- 5- मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-6, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2059069 हजार (दो सौ पाँच करोड़ नव्हे लाख उनहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ज))
- 6- मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 99708 हजार (नौ करोड़ सतानवे लाख आठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (झ))
23. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
17. विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में “इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड” साइन्स की वैधता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

देहरादून :

दिनांक : 27 जुलाई, 2004

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2004
का द्वितीय मांगलवार

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार, 05 श्रावण, शक संवत्, 1926
(दिनांक : 27 जुलाई, 2004)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री शूरवीर सिंह सजवाण

17-07-2004

श्री प्रीतम सिंह पंवार

18-7-2004

डा० हरक सिंह रावत

18-07-2004

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी

18-07-2004

**1. क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के ही प्राविधान उत्तरांचल में लागू हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या-773/सा०वि०-1-2(क)-16-2003, लखनऊ, दिनांक 14 जुलाई, 2003 को उत्तरांचल में लागू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उत्तरांचल में प्रवृत्त अधिनियम के संबंधित प्रावधानों में उत्तर प्रदेश की पद्धति पर संशोधन करने पर विचार करेगी?

नगर विकास

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार 26-05-2004	*1. क्या वन मंत्री भिज्ञ हैं कि जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री से आगे चीडवासा व भोजवासा में नाममात्र के भोजवृक्ष रह गये हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार दुर्लभ प्रजाति के इन भोजवृक्षों के सरक्षण के लिये कोई कारगर कदम उठाने जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री प्रकाश पंत 31-05-2004 श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 10-06-2004	*2. क्या वन मंत्री बतायेंगे कि जनवरी, 2004 से 15 मई, 2004 के मध्य उत्तरांचल की कितनी वन सम्पदा दावानल के कारण नष्ट हो गयी? सरकार द्वारा दावाग्नि शमन हेतु क्या उपाय किये गये तथा उस पर कितना व्यय किया गया? क्या सरकार दावाग्नि रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कार्ययोजना का स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	वन
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 08-06-2004	*3. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विभाग द्वारा निर्माण कार्य की दरें निर्धारित किए जाने की क्या प्रक्रिया तथा आधार है? क्या निर्माण सामग्री के बाजार भाव में उतार-चढ़ाव के आलोक में दरों की समीक्षा की जाती है? यदि हाँ, तो कितने अन्तराल के बाद? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगी की लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरें अन्य अभियांत्रिक विभागों के लिये मार्ग दर्शक आधार हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दिशा में कार्यवाही करेगी?	लोक निर्माण
श्री काशी सिंह ऐरी 09-06-2004	*4. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य को एक सड़क मार्ग से जोड़ने के लिये देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, बागेश्वर, थल, देवलथल, पिथौरागढ़ के मध्य मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा उक्त मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त योजना की अद्यतन स्थिति क्या है और यह मार्ग कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 02-07-2004	*5. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में विविध विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित कोई शासनादेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो उक्त शासनादेश जारी करने का उद्देश्य क्या है? क्या भू-परिवर्तन संबंधी शुल्क भी निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो दरें क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	चतुर्थ सोमवार के तारांकित 4 में स्था०

मो0 शहजाद
06-07-2004

*6. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत राजा जी नेशनल पार्क के रानीपुर रेन्ज, टिबडी रेन्ज, ढोल खण्ड रेन्ज में जून, 2003 से जून, 2004 तक कितने हरे पेड़ अवैध रूप से काटे गये तथा यह पेड़ किस-किस प्रजाति के थे? क्या सरकार द्वारा उक्त पार्क में सक्रिय वन माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

अतारांकित प्रश्न

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
07-06-2004

1. क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में पोखरी पुनर्गठन पेयजल योजना में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है तथा इस योजना से कौन-कौन से गांव लाभान्वित होने वाले हैं?

पेयजल

श्री तसलीम अहमद
07-06-2004

2. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, कुन्हारी जनपद हरिद्वार को नगर पंचायत बनाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
08-06-2004

3. दिनांक 22-07-2004 के अतारांकित 39 द्वारा उत्तरित

श्री प्रीतम सिंह पंवार
08-06-2004

4. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में लीसा दोहन तथा अन्य वन उपजों के दोहन के लिए कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध करायी जायेगी और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
08-06-2004

5. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के धरासू बैण्ड पर भागीरथी नदी पर बन रहे मोटर पुल निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

लोक निर्माण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
08-06-2004

6. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि भूस्खलन से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिए दैवीय आपदा मद से बजट आवंटन किया जा रहा है? यदि हाँ तो वर्ष 2003-04 में जनपद उत्तरकाशी के उत्तरांचल जल संस्थान व उत्तरांचल पेयजल निगम को कितनी धनराशि आवंटित/प्राप्त हुई तथा किन-किन पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण व मरम्मत कार्य किया गया? यदि नहीं तो क्यों?

पेयजल

श्री अजय भट्ट 08-06-2004	7. क्या सूचना मंत्री को यह जानकारी है कि देहरादून स्थित सूचना निदेशालय को सरकारी भवन से हटाकर निजी भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हाँ तो इसका प्रतिमाह किराया क्या है तथा अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण है?	सूचना
श्री तसलीम अहमद 07-06-2004	8. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि ग्राम सभा भन्साड़ी तहसील बड़कोट जनपद उत्तरकाशी में मुसलिमों के कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय सोमवार के अता0 41 में स्था0
श्री हरबंस कपूर 09-06-2004	9. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि ओशों होटल राजपुर रोड़ तथा जी.आर. डी.एकेडमी. राजपुर रोड़, देहरादून के पीछे एवं डाईवर्जन रोड़ आदि क्षेत्रों में किए जा रहे अवैध कब्जों के संबंध में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी?	नगर विकास
श्री काशी सिंह ऐरी 09-06-2004	10. क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में देवलधल-कनालीछीना लिंक मोटर मार्ग का आज तक डामरीकरण नहीं हुआ है? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग का निर्माण लगभग 22 वर्ष पूर्व हुआ था? क्या मंत्री जी यह भी जानते हैं कि उक्त मार्ग रख-रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गया है और यातायात के लायक नहीं रह गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग के डामरीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्रीमती विजय बड़थवाल 11-06-2004	11. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल पेयजल निगम के नियमित कर्मियों व फील्ड कर्मियों की सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का एक बड़ा भाग मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में एकत्रित कर लिया जाता है? क्या यह सत्य है कि अन्य विभागों में यह व्यवस्था शाखाओं के पास सुरक्षित रखी जाती है? यदि हाँ, तो पेयजल निगम द्वारा किस नियम के अन्तर्गत उक्त धनराशि मुख्य अभियन्ता को प्राप्त कराई जाती है? क्या निगम के बोर्ड से उक्त विधि का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब?	पेयजल
डा0 नारायण सिंह जन्तवाल 11-06-2004	12. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल में कालाढुंगी पेयजल योजना के ग्रामीण जोन III (रूपपुर ग्राम समूह) तथा कालाढुंगी ग्रामीण जोन के पार्ट II (देवीपुरा ग्राम समूह) के निर्माण के लिये टेंडर किये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो क्या टेंडर के अनुसार कार्य पूरा कर दिया गया है? यदि नहीं, तो तथा कब तक उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल

- श्री हरबंस कपूर
14-06-2004
13. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में कृष्णनगर से बिंदाल तक बिछाई जा रही कृष्णनगर-बिन्दाल दोहरी सीवर लाईन का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कार्य का समय के अन्दर पूर्ण न होने के क्या कारण हैं तथा कब तक इसे पूरा कर लिया जायेगा यदि नहीं, तो क्यों?
- पेयजल
- श्री हरबंस कपूर
14-06-2004
14. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर में गत दस वर्षों में पेयजल कनेक्शनों में कितनी वृद्धि हुई है, तथा इसी अनुपात में फील्ड स्टाफ की संख्या में भी वृद्धि हुई है? क्या मंत्री जी उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा सेवाओं में सुधार के परिप्रेक्ष्य में कनेक्शनधारियों की संख्या को देखते हुए फील्ड स्टाफ की पर्याप्त नियुक्ति करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
- पेयजल
- डा० नारायण सिंह जन्तवाल
14-06-2004
15. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल स्थित कमलताल में कमलों के विलुप्त होने से कमलताल की महत्ता प्रायः समाप्त हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार कमलताल की महत्ता को बनाये रखने हेतु कोई कारगर कदम उठायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- द्वितीय सोमवार के
अता० 62 में स्था०
- श्री प्रीतम सिंह पंवार
14-06-2004
16. विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त
- श्री प्रीतम सिंह पंवार
15-06-2004
17. क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर आये भूस्खलन के बाद उस क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पाइप लाईन मरम्मत के लिए जल संस्थान द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गयी? क्या यह सत्य है कि जिन पाइप लाईनों को बदलने हेतु धन आवंटित किया गया था उन्हें न बदलकर नगर के बीचों-बीच नई पाइप लाईन बिछाकर लाखों रुपये व्यय किये गये? क्या यह भी सत्य है कि उक्त लाईन मात्र चार माह में ही बन्द हो चुकी हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- पेयजल
- श्री प्रीतम सिंह पंवार
15-06-2004
18. क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत भूस्खलन के बाद वरुणावत के शीर्ष में सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी? उक्त धनराशि किन कार्यों पर व्यय की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?
- वन

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 15-06-2004	19. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वजल धारा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के किन-किन विकास खण्डों को पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना को कार्यान्वित करने हेतु जनपद में कुल कितनी धनराशि अब तक आवंटित की गई है तथा किन-किन विकास खण्डों में स्वजल धारा के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाओं पर कार्य चल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री हरबंस कपूर 15-06-2004	20. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को कब तक स्वीकार कर लिया जाएगा तथा नगर की सफाई व्यवस्था सुचारु करने हेतु कब तक प्रभावी कदम उठाये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	तृतीय मंगलवार तक स्थगित
श्री कैलाश शर्मा 17-06-2004	21. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर में बनाई जा रही सीवर लाईन का निर्माण कार्य रोक दिया गया? यदि हाँ, तो क्या सरकार रोके गये कार्य को पुनः चालू कराये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री कैलाश शर्मा 17-06-2004	22. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अल्मोड़ा नगर एवं नगर के समीपवर्ती ग्रामों की गंभीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या सरकार सेराघाट सरयू नदी से पेयजल योजना का निर्माण करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री प्रकाश पंत 18-06-2004	23. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा तट से 200 मीटर दूरी तक निर्माण कार्यों पर रोक का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?	द्वितीय सोमवार के अता0 63 में स्था0
श्री गगन सिंह रजवार 18-06-2004	24. क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के अन्तर्गत सर्प रोडा ढुंगा तोली पेयजल योजना के निर्माण कार्य में अनियमितताएं की गई हैं? यदि हाँ, तो इन अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?	पेयजल
श्री गगन सिंह रजवार 18-06-2004	25. क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के अन्तर्गत धौली गंगा परियोजना क्षेत्र में वानिकी कार्यों हेतु कुल कितनी धनराशि व्यय की गई तथा कितने क्षेत्र को लाभान्वित किया गया है और कितना कार्य शेष है?	वन

डा० नारायण सिंह जन्तवाल 18-06-2004	26. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल की तहसील भीमताल के ग्राम सभा सलड़ी में निर्माणाधीन चन्दादेवा हरिनगर अम्बेड़कर हल्का वाहन मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग यातायात हेतु कब तक खोल दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 19-06-2004	27. क्या सूचना मंत्री अवगत हैं कि शासन की नीतियों का प्रचार-प्रसार एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ मनोरंजन के लिये संचालित फिल्म शो कार्यक्रम जिला सूचना केन्द्रों द्वारा बन्द कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में पूर्व की भांति जिला सूचना केन्द्रों द्वारा फिल्म शो कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सूचना
श्री मदन कौशिक 19-06-2004	28. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वजल परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में हरिद्वार के कितने और किन-किन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है? क्या परियोजना ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री मदन कौशिक 19-06-2004	29. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2003-2004 में पेयजल की समस्या से निपटने के लिये कितने हैण्ड पम्पों की स्वीकृति दे दी गयी है? क्या सभी जनपदों में हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री प्रकाश पंत 19-06-2004	30. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड विण, पिथौरागढ़ के ग्राम भटचूड़ा, थरकोट, बालाकोट, मासो, जाख, पुरान, लोधियागैर, ग्राम समूह पेयजल योजना के पुनर्गठन की मांग जनता द्वारा काफी लम्बे समय से करती आ रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मांग पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 19-06-2004	31. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 1978-79 में गनाई-तड़ागताल (जनपद अल्मोड़ा) मोटर मार्ग का निर्माण ग्राम-कोटयूड़ा तक विभाग द्वारा करवाया गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम टेडागांव व ग्राम कोटयूड़ा के ग्रामीणों की अध्याप्त भूमि के मुआवजा का भुगतान कर दिया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के ग्रामीणों को मुआवजे का भुगतान यथाशीघ्र करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?	लोक निर्माण
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 19-06-2004	32. क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री अवगत हैं कि राज्य अतिथि गृह नैनीताल के विश्राम कक्षों के फोन काम कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य अतिथि गृह के विश्राम कक्षों की संचार सुविधा ठीक करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राज्य सम्पत्ति

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 19-06-2004	33. क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि राज्य अतिथि गृह नैनीताल एवं उत्तरांचल निवास दिल्ली में कुल कितने कर्मचारी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में दैनिक वेतन पर सेवारत हैं? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राज्य सम्पत्ति
श्री गगन सिंह रजवार 19-06-2004	34. क्या वन मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट मृग विहार क्षेत्र का पुनः सीमांकन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?	वन
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 19-06-2004	35. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूँगी स्थित जिम कॉर्बेट संग्रहालय को जीर्णोद्धार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या इस ऐतिहासिक भवन के मौलिक स्वरूप को यथावत रखते हुए ही जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री सुरेश चन्द्र जैन 21-06-2004	36. अस्पष्टता के आधार पर निरस्त	
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 21-06-2004	37. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् भवाली में सीवर-लाइन न होने के कारण वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार भवाली में सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु कोई कार्ययोजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री सुरेश चन्द्र जैन 22-06-2004	38. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में विधान सभा क्षेत्र रुड़की में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु कोई योजना सरकार द्वारा बनायी जा रही है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 22-06-2004	39. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के बमोघ से पोखरी तक का पैदल मार्ग कब निर्मित हुआ था? क्या उक्त मार्ग के रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हाँ, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?	तृतीय मंगलवार के अता० 05 में स्था०
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 22-06-2004	40. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में कनकचौरी पोगठा रौता मोटर मार्ग हेतु वन भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त सड़क कब तक तैयार हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण

श्रीमती आशा नौटियाल 22-06-2004	41. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में वर्ष 2003-04 और 2004-05 में कुल कितने हैण्डपम्प लगाये गये तथा कितने हैण्डपम्पों से जनता को पेयजल सुविधा मुहैया करायी जा रही है? क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में और अधिक हैण्डपम्प लगाये जाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री अनिल नौटियाल 22-06-2004	42. क्या लो0नि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कें वन अधिनियम के कारण लम्बित हैं? जिन सड़कों की स्वीकृति वन विभाग द्वारा प्रदान कर दी गयी हैं, क्या सरकार द्वारा उन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री अनिल नौटियाल 22-06-2004	43. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत रणचौरा पेयजल योजना का सर्वे एवं आगणन तैयार किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब तक इस पेयजल योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
डा0 नारायण सिंह जन्तवाल 22-06-2004	44. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल स्थित नगर पंचायत कालाढूंगी में सीवर लाइन बिछाये जाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 22-06-2004	45. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री धाम में बस स्टेशन की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए गंगोत्री धाम के बस स्टेशन से आधा कि0मी0 पीछे तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी 22-06-2004	46. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यमनोत्री धाम के पैदल मार्ग का जानकीचट्टी से यमनोत्री धाम तक चौड़ीकरण किये जाने से संबंधित कार्य शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री अनिल नौटियाल 23-06-2004	47. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत बी.एम.बी. मोटर मार्ग को तलवाड़ी (थराली वि0ख0) तक मिलाने की स्वीकृति दी गई थी? यदि हाँ, तो उक्त कार्य को कब तक प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण

श्री हरभजन सिंह चीमा 23-06-2004 श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 28-06-2004	48. क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार विधायकों का वेतन एवं अन्य सुविधाएं बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	संसदीय कार्य
श्रीमती आशा नौटियाल 24-06-2004	49. क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड ऊखीमठ में देवर पेयजल योजना पर विभाग द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया तथा उक्त योजना किस सन् में बनकर तैयार हुई? क्या उक्त योजना का लाभ ग्रामीण जनता को मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्रीमती आशा नौटियाल 24-06-2004	50. क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग का डामरीकरण किस सन् में किया गया था? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत तथा लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री अजय भट्ट 25-06-2004	51. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लोक निर्माण के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी सेवा निवृत्ति के उपरान्त या मरणोपरान्त उनको या उनके वारिसों को भविष्य निधि का पैसा भुगतान किये जाने के प्रकरण लम्बित है? कब तक सरकार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री अजय भट्ट 25-06-2004	52. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं एवं इनका जिलेवार विवरण क्या है? क्या सरकार द्वारा इन विकास खण्डों में उपरोक्त पदों हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक उक्त विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री विशन सिंह चुफाल 25-06-2004	53. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1975 में खनाली, जुनखल, कोली, पाटा पेयजल योजना का निर्माण किया गया? यदि हाँ, तो क्या उक्त पेयजल योजना पूर्ण रूप से बन्द है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गावों को पेयजल आपूर्ति सुलभ करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री विशन सिंह चुफाल 25-06-2004	54. क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1997-98 में जनपद पिथौरागढ़ में बूगाड़ीगा, अलगडा तक 05 कि.मी. सड़क स्वीकृत की गई थी? जिसमें से कि मात्र 03 कि.मी. सड़क का निर्माण किया गया? यदि हाँ, तो क्या सरकार अवशेष 02 कि.मी. सड़क का निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण

श्री गगन सिंह रजवार 25-06-2004	55. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत स्थित जौलजीवी-झूलाघाट-टनकपुर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रुका हुआ है? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	लोक निर्माण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 26-06-2004	56. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि मसूरी देहरादून प्राधिकरण द्वारा ट्रासपोर्ट नगरयोजना के अन्तर्गत सहारनपुर-देहरादून मार्ग माजरा के निकट भूखण्डों को खरीदने हेतु पंजीकरण किया गया था? यदि हाँ, तो पंजीकृत आवेदकों को भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय सोमवार के अता0 4 में स्था0
श्री अनिल नौटियाल 26-06-2004	57. क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत कुशरानी मल्ली, बारहगांव पेयजल योजना एवं घटगाड, पेयजल योजना व गिवार्ण पेयजल योजना पूर्णरूप से बन्द पड़ी है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार उक्त बन्द पड़ी योजनाओं को चालू किए जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री अनिल नौटियाल 26-06-2004	58. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि श्री आशा कुमार भदोला जो कि गैरसैण में वन दरोगा के पद पर कार्यरत थे, विभागीय कार्य से रानीखेत गये थे? यदि हाँ, तो क्या उक्त के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त हुई है तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके परिवार को क्या कोई सुविधा दी जा रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 08-06-2004	59. क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि हरिद्वार-मसूरी मार्ग पर डोईवाला के निकट सौंग नदी पर बने मोटर पुल तथा रिस्पना नदी पर धोरण के पास बने पुलों के निर्माण पर कितना व्यय हुआ और इनसे अभी तक सरकार को कितनी आय हुई है? वसूली की यह व्यवस्था कब तक जारी रहेगी? यदि हाँ, तो कब तक?	लोक निर्माण
श्री अनिल नौटियाल 28-06-2004	60. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत कितने और कौन-कौन से मोटर मार्ग वन विभाग के अधीन है? क्या सरकार उक्त मार्गों के रखरखाव व डामरीकरण हेतु प्रयासरत है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उक्त मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कोई योजना शासन स्तर पर लम्बित है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त मार्ग हस्तान्तरण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्री अनिल नौटियाल 28-06-2004	61. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जंगली जानवरों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में नकदी फसलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार काश्तकारों को फसलों के नुकसान का मुआवजे का भुगतान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	वन

श्रीमती विजय बड़थवाल 29-06-2004	62. क्या वन मंत्री बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल में नरभक्षी बाघ ने सन् 1999 से प्रश्न प्राप्ति की तिथि तक कुल कितने लोगों की जाने ली व कितनों को घायल किया? क्या सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया गया है? नरभक्षी बाघ से जनता की सुरक्षा के लिये क्या सरकार ने कोई उपाय किये हैं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	वन
श्रीमती विजय बड़थवाल 29-06-2004	63. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड द्वारीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कठूड़ बड़ा हेतु सरकार द्वारा पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री प्रीतम सिंह पंवार 30-06-2004	64. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थत्पूड़ के थान गांव में पेयजल का गंभीर संकट है? क्या यह सत्य है कि गांव के लोग लगभग 03 कि.मी. दूर बिलौन्दी पुल से आगे स्रोत से पानी ला रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गांव में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पेयजल
श्री प्रीतम सिंह पंवार 01-07-2004	65. क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वी.आई.पी. वाहनों पर लाल बल्लियों के प्रयोग हेतु कोई दिशा-निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय शुक्रवार के अता0 46 में स्था0
श्री प्रीतम सिंह पंवार 01-07-2004	66. क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के गठनोपरान्त प्रोटोकाल के अनुपालन हेतु कोई नियमावली बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या उसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय सोमवार का अता0 49 में स्था0
श्री प्रीतम सिंह पंवार 01-07-2004	67. क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के जंगलों में बुरांस के फूल संग्रहण हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो बुरांस के फूलों के संग्रहण हेतु कितना शुल्क निर्धारित किया गया है?	वन
श्री मदन कौशिक 01-07-2004	68. क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ट्रान्जिट होस्टल, देहरादून में विधायकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	राज्य सम्पत्ति

- | | | |
|--|--|---------------|
| श्री प्रीतम सिंह पंवार
25-05-2004 | 69. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों का सर्वेक्षण किया गया है? यदि हाँ, तो कुल कितने लोग हैं तथा सरकार द्वारा उन्हें किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी गई? यदि नहीं, तो क्यों? | ग्राम्य विकास |
| श्री मदन कौशिक
13-05-2004 | 70. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य हरिद्वार तथा कोटद्वार से प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? | नगर विकास |
| श्री हरबंस कपूर
05-06-2004 | 71. न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त | |
| डा० नारायण सिंह जन्तवाल
22-06-2004 | 72. क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में फिल्म विकास परिषद का गठन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या परिषद में उत्तराखण्ड तथा फिल्म जगत में कार्य करने वाले कलाकारों को भी शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? | सूचना |
| श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
05-07-2004 | 73. क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर के वार्ड 13 दीप नगर तथा रामपुर विकास खण्ड के ग्राम नत्थनपुर में पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु ट्यूबवैल लगाया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक ट्यूबवैल स्थापित कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? | पेयजल |
| श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
07-07-2004 | 74. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 05 सितम्बर, 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा अल्मोड़ा जिला मुख्यालय की सार्वजनिक सभा में अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत 'जालली' विकास खण्ड के निर्माण की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या जालली विकास खण्ड का गठन हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? | ग्राम्य विकास |

नत्थी “ग”

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 जुलाई, 2004 की बैठक में 27 जुलाई, 2004 से 30 जुलाई, 2004 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

जुलाई, 2004

27 मंगलवार

1. 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
2. 08-आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
3. 26-पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
4. 17-कृषि कर्म एवं अनुसन्धान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
5. 06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
6. 25-खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

28 बुधवार

1. 27-वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
2. 15-कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
3. 18-सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
4. 28-पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
5. 23-उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
6. 29-औद्योगिकी एवं रेशम विकास की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
7. 13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
8. 19-ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

9. 20-सिंचाई तथा बाढ़ विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
10. 01-विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। विवाद नहीं होगा।
11. 02-राज्यपाल के अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। विवाद नहीं होगा।
12. 03-मंत्री परिषद् की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। विवाद नहीं होगा।
13. 14-सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
14. 22-लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

29 गुरुवार

1. 11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
2. 16-श्रम एवं रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
3. 24-परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
4. 04-न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। विवाद नहीं होगा
5. 05-निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
6. 07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवायें विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
7. 09-लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। विवाद नहीं होगा
8. 10-पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
9. 21-ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।
10. उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2004 का पुरःस्थापन उस पर विचार एवं पारण।

30 शुक्रवार

असरकारी कार्य

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय।”

2. श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारु, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।”

3. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुतू को, चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिह्नित कर चार धाम यात्रा की कार्य-योजना से जोड़ा जाय।”

4. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाय।”

5. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 को प्रस्तुत नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“संविधान के अनुच्छेद-323 के खण्ड (2) के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा की जाय।”

6. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित नियम-103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के जगदीशीला व विश्वनाथ की धार्मिक यात्रा हेतु यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधा जुटाकर पर्यटक स्थल घोषित किया जाए।”

7. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित नियम-103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में गौवंश संरक्षण हेतु विधि बनाई जाए।”

8. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा :- (एक घण्टा)

“उत्तरांचल राज्य में पर्यटन एवं तीर्थाटन को बढ़ावा देने हेतु एक स्टीडी कमेटी बनाई जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में पर्यटन एवं तीर्थाटन नीति बनाई जाए।”

9. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा :- (एक घण्टा)

“प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण किए जाने हेतु ऐसी नीति बनाए जाए कि इन संगठनों की कार्य प्रणाली पारदर्शी हो, इनको प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उत्तरदायित्व निर्धारित हो सके तथा इनके द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सरकारी सहायता प्राप्त योजनाओं का अधिकाधिक लाभ जनता को प्राप्त हो सके।”

10. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित असरकारी विधेयक का पुरःस्थापन :-

“उत्तरांचल प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचड़ा (उपयोग एवं निस्तारण का विनियमन) विधेयक-2004 पर विचार।”

11. द्वितीय सत्र, 2002 के लम्बित संकल्पों पर विचार :-

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संकल्प</u>
1. श्री प्रकाश पंत दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रतिवर्ष होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को तीर्थ यात्रा मार्ग के रूप में विकसित किया जाए।”
2. श्री मातबर सिंह कण्डारी दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत	“इस सदन का सुनिश्चित मत है उत्तरांचल कि राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाय।”
3. श्री मदन कौशिक दिनांक 14 जून, 2002 को प्रस्तुत	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र “हरि की पैड़ी”, गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखा जाए।”

13. निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं विचार

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संकल्प</u>
1. श्री विशन सिंह चुफाल	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि का समय पर भुगतान करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए।”
2. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल विधान सभा के माननीय सदस्यों को, विधायी एवं क्षेत्र के विकास कार्यों के सम्पादन हेतु एक लिपिक तथा एक अनुसेवक की नियुक्ति हेतु बजट में आवश्यक प्राविधान किया जाए।”
3. श्री मदन कौशिक	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के भूगर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भूगर्भ विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए।”

विधायी कार्य

1. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 का विचार एवं पारण। (आधा घन्टा)
2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2004 का विचार एवं पारण। (15 मिनट)
3. उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 का विचार एवं पारण। (आधा घन्टा)

4. श्री अजय भट्ट
14 जून, 2002
को प्रस्तुत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है दिनांक कि जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगर पालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।”

5. श्रीमती विजय बड़वाल
दिनांक 14 जून, 2002
को प्रस्तुत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र, यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल की चार पट्टियों विचलाढांगू, मल्लाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्ला उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकास खण्ड जाखणीखाल बनाया जाए।”

12. प्रथम सत्र, 2003 के लम्बित असरकारी संकल्पों पर विचार

प्रस्तावक का नाम

संकल्प

1. श्रीमती विजय बड़वाल
दिनांक 4 अप्रैल, 2003
को प्रस्तुत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पार्लिटैक्निक की स्थापना की जाए।”

2. काजी निजामुद्दीन
दिनांक 4 अप्रैल, 2003
को प्रस्तुत

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।”

3. श्री मातबर सिंह कण्डारी
दिनांक 4 अप्रैल, 2003
को प्रस्तुत

“इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रदेश के रेल मार्गों की न्यूवता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाए।”

नत्थी (घ)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग

लेखा शीर्षक-(2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री प्रकाश पन्त,
2. श्री मदन कौशिक,
3. श्री कैलाश शर्मा,
4. श्री विशन सिंह चुफाल,
5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
6. श्रीमती विजय बड़थवाल,
7. श्री हरभजन सिंह चीमा,
8. श्री हरबंस कपूर,
9. काजी निजामुद्दीन,
10. श्री हरिदास,
11. श्री तसलीम अहमद,
12. श्री काशी सिंह ऐरी,
13. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी,
14. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल,
15. श्री प्रीतम सिंह पंवार।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ड)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्यय की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 08-आबकारी विभाग

लेखा शीर्षक-(2039-राज्य उत्पादन शुल्क, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री प्रकाश पन्त,
2. श्री मदन कौशिक,
3. श्री कैलाश शर्मा,
4. श्री विशन सिंह चुफाल,
5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
6. श्री अजय भट्ट,
7. श्रीमती विजय बड़थवाल,
8. श्री हरभजन सिंह चीमा,
9. श्री हरबंस कपूर,
10. काजी निजामुद्दीन,
11. श्री हरिदास,
12. श्री तसलीम अहमद,
13. श्री काशी सिंह ऐरी,
14. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी,
15. डा० नारायण सिंह जन्तवाल,
16. श्री प्रीतम सिंह पंवार।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (च)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 26-पर्यटन विभाग

लेखा शीर्षक-(3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्रीमती आशा नौटियाल,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री मदन कौशिक,
4. श्री कैलाश शर्मा,
5. श्री विशन सिंह चुफाल,
6. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
7. श्री अजय भट्ट,
8. श्रीमती विजय बड़वाल,
9. श्री अनिल नौटियाल,
10. श्री हरभजन सिंह चीमा,
11. श्री हरबंस कपूर,
12. डा० नारायण सिंह जन्तवाल।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (छ)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग

लेखा शीर्षक-(2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय, 6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री मदन कौशिक,
2. श्री प्रकाश पन्त,
3. श्री कैलाश शर्मा,
4. श्री विशन सिंह चुफाल,
5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
6. श्री अजय भट्ट,
7. श्रीमती विजय बड़वाल,
8. श्री हरभजन सिंह चीमा,
9. श्री हरबंस कपूर,
10. काजी निजामुद्दीन,
11. श्री हरिदास,
12. श्री तसलीम अहमद,
13. श्री काशी सिंह ऐरी,
14. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी,
15. श्री नारायण सिंह जन्तवाल,
16. श्री प्रीतम सिंह पंवार।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (ज)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग

लेखा शीर्षक-(2029-भू-राजस्व, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवार्ये, 2075-विविध सामान्य सेवार्ये, 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री प्रकाश पन्त,
2. श्री मदन कौशिक,
3. श्री कैलाश शर्मा,
4. श्री विशन सिंह चुफाल,
5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
6. श्री अजय भट्ट,
7. श्रीमती विजय बड़वाल,
8. श्रीमती आशा नौटियाल,
9. श्री हरभजन सिंह चीमा,
10. श्री हरबंस कपूर,
10. काजी निजामुद्दीन,
11. श्री हरिदास,
12. श्री तसलीम अहमद,
13. श्री काशी सिंह ऐरी,
14. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी,
15. श्री नारायण सिंह जन्तवाल,
16. श्री प्रीतम सिंह पंवार।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (झ)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या : 25-खाद्य विभाग

लेखा शीर्षक-(2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण, 3456-सिविल पूर्ति, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवार्ये, 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय)

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री प्रकाश पन्त,
2. श्री मदन कौशिक,
3. श्री कैलाश शर्मा,
4. श्री विशन सिंह चुफाल,
5. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,
6. श्री अजय भट्ट,
7. श्रीमती विजय बड़थवाल,
8. श्री हरभजन सिंह चीमा,
9. श्री हरबंस कपूर
10. काजी निजामुद्दीन,
11. श्री हरिदास,
12. श्री तसलीम अहमद,
13. श्री काशी सिंह ऐरी,
14. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी,
15. श्री नारायण सिंह जन्तवाल,
16. श्री प्रीतम सिंह पंवार।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।